उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून
E-mail : infodg.uk@gmail.com दूरभाषः 0135–2662971 / फैक्सः 2662334

पत्रांक : 10 / सू.एवंलो.स.वि.(विज्ञा.) 42 / 2016 दिनांक 09/01/, 2018

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड प्रिण्ट मीडिया विज्ञापन नियमावली 2015 के अन्तर्गत गठित सूचीबद्धता संचालन समिति की सूचना महानिदेशालय में दिनांक 30 नवम्बर, 2017 को आयोजित बैठक में समिति के सदस्यों द्वारा स्वामित्व परिवर्तन के ऐसे प्रकरण, जिनको सूचीबद्धता की सूची से पृथक कर दिया गया है को सम्यक विचारोपरान्त नये समाचार पत्र–पत्रिकाओं की श्रेणी में माना जायेगा एवं उन्हें 18 माह की नियमितता के उपरान्त सूचीबद्धता हेतु अपना आवेदन परिशिष्ट–1 में समस्त संलग्नों सहित सम्बन्धित जिना सूचना अधिकारी के माध्यम से समिति की बैठक में प्रस्तुत करने की संस्तुति की गई है।

अतः विभाग में पूर्व से सूचीबद्ध ऐसे समाचार पत्र–पत्रिकायें जो नियमावली में निहीत प्राविधानों से आच्छादित न होने के कारण सूचीबद्धता की सूची से पृथक हो गये हों को नये समाचार पत्र की श्रेणी में रखा जाता है तथा उन्हें 18 माह की नियमितता के उपरान्त सूचीबद्धता हेतु अपना आवेदन परिशिष्ट–1 में समस्त संलग्नों सहित सम्बन्धित जिला सूचना अधिकारी के माध्यम से समिति की बैठक में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय)
महानिदेशक

पत्रांक : / सू.एवंलो.स.वि. (विज्ञा.)42 / 2016 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, सूचना, उत्तराखण्ड।
2. समिति के सदस्यों को।
3. सम्बन्धित जिला सूचना अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्तानुसार सम्बन्धित आवेदकों को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय)
महानिदेशक